उत्तराखण्ड सरकार

ई–मेल

राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड
मसूरी बाईपास रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून पिन : 248001
Email: crc.ddn99@gmail.com, दूरभाषः 0135–2669415, फैक्स : 2669384

संख्याः– 3423 /6–77/2018–19/ दिनांक : 20 नवम्बर, 2021.

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषय– उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत लोक सेवाओं एवं पदों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु अलग–अलग रूप से प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया, उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–1630/18(1)/2021–07(29)/2021, दिनांक 09 नवम्बर, 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो राजस्व परिषद् व समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड को सम्बोधित एवं अन्य के साथ आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमायूँ मण्डल नैनीताल को भी पृष्ठांकित है।

उक्त शासनादेश के द्वारा राज्याधीन सेवाओं और पदों में सीधी भर्ती के पदों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण प्रदान किये जाने के उद्देश्य से आय और सम्पति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु कार्मिक एवं सतर्कता विभाग अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के पूर्व शासनादेश संख्या 123/XXX(2)2019–30(1)/2019 दिनांक 29 अप्रैल, 2019 द्वारा निर्धारित प्रारूप से EWS (आर्थिक रूप से कमजारे वर्गों हेतु आय और सम्पत्ति प्रमाण पत्र) प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने में हो रही कठिनाईयों के दृष्टिगत पूर्व निर्गत शासनादेशों के अन्तर्गत **संशोधित संलग्न प्रारूप** अनुसार वित्तीय वर्ष के लिए प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने संबंधी आदेश निर्गत गये हैं।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि EWS (आर्थिक रूप से कमजारे वर्गों हेतु आय और सम्पत्ति प्रमाण पत्र) प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु शासनादेशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(चन्द्रेश कुमार)
आयुक्त एवं सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव/निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।
2. सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. सचिव, उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग, देहरादून।
4. निदेश, एन.आई. सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
6. उप राजस्व आयुक्त, राजस्व परिषद् को विभागीय वेबसाइट में अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।
7. गार्ड फाईल।

आयुक्त एवं सचिव
राजस्व परिषद।

सं०- 888 / दि०- 12-11-21 संख्या-1630 /XVIII(1)/2021-07(29)/2021

डॉ0 बी0वी0आर0सी0पुरूषोत्तम,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

राजस्व अनुभाग-1

देहरादूनः दिनांक 09 नवम्बर, 2021

विषयः- उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत लोक सेवाओं एवं पदों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो हेतु अलग-अलग रूप से प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों में सीधी भर्ती के पदों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो को आरक्षण प्रदान किये जाने की व्यवस्था, उत्तराखण्ड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2019 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के पूर्व आदेश संख्या-123, दिनांक 29 अप्रैल, 2019, में संलग्न प्रारूप से EWS प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने में हो रही कठिनाईयों के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन स्तर से उक्त संशोधित प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों द्वारा आर्थिक कमजोर वर्गो के लिए आरक्षण हेतु आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र में किये गये संशोधन के आधार पर संशोधित प्रारूप के अनुसार EWS प्रमाण पत्र जिस वित्तीय वर्ष में जारी किया जायेगा उसी सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए ही मान्य होगा। इस सन्दर्भ में पूर्व में निर्गत शासनादेशों के दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे।

यह आदेश कार्मिक विभाग की सहमति से जारी किया जा रहा है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ0 बी0वी0आर0सी0पुरूषोत्तम)
सचिव

संख्या- (1)/XVIII(1)/2021-07(29)/2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. अध्यक्ष, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल, पौडी/नैनीताल।
5. कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ0 आनन्द श्रीवास्तव)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड सरकार

(प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले कार्यालय का नाम एवं पता)

(अधिसूचना संख्या–64/xxxvi(13)/2019/19(1)/2009, दिनांक 07 मई, 2019 के अधीन)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिए आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र

प्रमाण–पत्र संख्या..... दिनांक.....

वित्तीय वर्ष.....हेतु मान्य

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पत्नी/पुत्री.....ग्राम/मुहल्ला.....पोस्ट ऑफिस.....जिला.....पिन कोड़.....उत्तराखण्ड राज्य के मूल निवासी/स्थायी निवासी हैं, जिनका नवीनतम फोटो नीचे प्रमाणित है। इनके परिवार की सभी स्रोतों से वित्तीय वर्ष.....की औसत आय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मानक रू0 8.00 लाख (रू0 आठ लाख मात्र) से कम है और इनका परिवार निम्न में से कोई सम्पत्ति धारित नहीं करता है:–

1. कृषि भूमि 5 एकड़ या उससे अधिक, या
2. आवासीय भवन 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक, या
3. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक के आवासीय भूखण्ड, या
4. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक के भूखण्ड।

2– श्री/श्रीमती/कुमारी.....जो कि .....जाति से है और भारत सरकार/उत्तराखण्ड सरकार की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में सम्मिलित नहीं है।

आवेदन द्वारा स्वप्रमाणित नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो

हस्ताक्षर सहित कार्यालय की मुहर

नाम.....

पदनाम.....

*Note 1: The Family for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the are of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years.

**Note 2: Income covered all sources i.e. salary, agriculture, business, profession, etc.

***Note 3: The property held by a Family in different locations or different places/cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.